न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 107/2026

हेमा देवी ———बनाम—— बिटाना आदि

दिनांक 20—07—2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रा0पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24—07—2026 को पेश हो।

अवनीश गौतम
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 24—07—2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदिका की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र विरूद्ध विपक्षीगण बिटाना व अहमद इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी ने मुख्यमंत्री उद्यमी ग्रामीण योजना के तहत लोन लेने हेतु आवेदन किया था उसके बाद प्रार्थिनी से विपक्षी अहमद मिला प्रार्थिनी का लोकन स्वीकृत कराने को कहा प्रार्थिनी का लोकन पंजाब नेशनल बैंक शाखा भिनगा से मंजूर हो गया उसके बाद विपक्षी अहमद ने प्रार्थिनी से कहा तुम एक लाख का चेक काट कर उसपर सिर्फ अपना हस्ताक्षर बनाना। प्रार्थिनी ने विपक्षी के बहकावे मे आकर चेक पर साइन करके उसे दे दिया चेक लेते समय उसके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त चेक से जो धनराशि निकलेगी वह तुम्हारे खाते मे ट्रांसफर हो जायेगी। इसके बाद विपक्षी ने प्रार्थिनी द्वारा दिये गये चेक से मु0 1,00,000/—रूपये अपनी पत्नी बिटाना क`खते में लाकर निकाल लिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थिनी जब बैंक में दिनांक 22—05—2026 को गयी और अपने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो उक्त 1,00,000/— रूपये विपक्षीगण द्वारा जालसाजी करके प्रार्थिनी के साथ ठगी कर निकाल लिये जाने की जानकारी हुई। दूसरे दिन प्रार्थिनी, विपक्षी से मिली तो उसने प्रार्थिनी का मखौल उड़ाया और नटिन हरामिन साली की जातिगत गालियां देते हुए काफी बुरा भला कहा।

विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को धोखे मे रखकर ठगी कर लिया है। घटना की सूचना थाने पर दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई। एस0पी0 को दिनांक 25–06–2026 को पत्र लिखा कोई कार्यवाही नहीं हुई तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची बी 5 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र की फोटो प्रति मय रजिस्टी रसीद, बैंक स्टेटमेंट की फोटो प्रति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदिका को नट जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदन में अंकित कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी, जो अनुसूचित जाति की सदस्या है, को धोखे में रखकर उससे एक लाख रूपये की ठगी की गयी और प्रार्थिनी को जातिगत गालियां देते हुए उसे बुरा भला भी कहा गया। ऐसी स्थिति में इस संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले में विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना विधि सम्मत है क्योंकि, इस प्रकरण में विवेचना के दौरान नये तथ्यों के प्रकाश में आने की भी सम्भावना है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष, सोनवा जनपद श्रावस्ती को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

अवनीश गौतम
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
जनपद श्रावस्ती।